फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	30-4-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 15-5-24 को पेश हो। रीडर	
	15-5-24 पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित 8(क) रिपोर्ट हाजा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20-5-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
	20-5-24 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया। जरिये खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से वास्ते पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली मय कार्यवाही के बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/02	अपील	08.02.2023	20-5 .2024

उनवान

1. मुकेश कुमार पुत्र फतेहसिंह जाति जाट उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम गूंदपुर तहसील व जिला अलवर राज0

बनाम

1. आनंदीलाल पुत्र अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी गूंदपुर तहसील व जिला अलवर
2. सरपंच ग्राम पंचायत गूंदपुर अलवर

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या
628 दिनॉक 17.07.2021 ग्राम गूंदपुर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि यह कि आराजी खसरा नंबर 733 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर में हैं तहत अदालत ने उक्त आराजी का इन्तकाल विरासत रैस्पाडेन्ट के नाम मृतक नरेन्द्र का तहत अदालत ने दर्ज व स्वीकार किया हैं जो नियम विरूद्ध दर्ज किया है। मिन अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही था उक्त इन्तकाल रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के पक्ष में दर्ज हो जाने से मिन अपीलान्ट की बरबादी का बाईस है इसलिए मिन अपीलान्ट को तहत अदालत के मातहत हुकम के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जाये। चूंकि उक्त आराजी मिन अपीलान्ट ने मृतक नरेन्द्र व रेस्पाडेन्ट नंबर 1 से जरिये वयनामा खरीद की है उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट का हित निहित है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा०दी० अलहदा से पेश है। यह कि तहत अदालत ने उक्त आराजी का इन्तकाल विरासत तारीख 05–08–2021 को मिन अपीलान्ट के बाला बाला गलत तरीक पर रेस्पाडेन्ट के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है व रेस्पाडेन्ट आराजी मुतनाजा पर तारीख 30–01–2023 को आया व कहा कि आराजी मुतनाजा का इन्तकाल विरासत मेरे नाम हो गया है आराजी पर कब्जा करके रहूंगा। जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उक्त इन्तकाल की नकल दिनांक 30–01–2023

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

को मिली, नकल मिलने पर मिन अपीलान्ट वकील साहेबान से सलाह मशवरा लिया व जिन्होने अपील दायर करने के बाबत कहा। जिस पर मिन अपीलान्ट कपये आदि का इन्तजाम किया जिससे बिला देरी के यह अपील आज पेश है उक्त देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का अलग से पेश है। यह कि तजबीज तहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत गून्दपुर तहसील अलवर होने से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान है। यह कि अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2 रुपये चस्पा है व तलवाना नियमानुसार चस्पा है। यह कि तजबीज अदालत मातहत बेजा व खिलाफ मंशाय कानून व खिलाफ रुएदार मिसल व खिलाफ रिकॉर्ड होने से काबिल मंसुखी है। यह कि वास्तविकता यह है कि मिन अपीलान्ट ने नरेन्द्र (मृतक) व रैरपाडेन्ट आनन्दीलाल पुत्रान अर्जुन जाति जाट निवासी गून्दपुर तहसील अलवर से उनके हकूक कब्जे कारत खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 732 रकबा 0.45 हैक्टेयर नहरी प्रथम हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 0.37 हेक्टेयर व खसरा नंबर 733 रकबा 0.16 हेक्टेयर नहरी प्रथम में से हिस्सा 0.04 ऐयर विवादित सालिम बाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर जरिये बयनामा तारीख 02–05–2017 को बेशकीमती रकम में खरीद की जो बयनामा उपपंजीयक महोदय अलवर द्वितीय से दिनांक 02–05–2017 को पंजीबद्ध किया गया है। बाद खरीददार उक्त आराजी पर मिन अपीलान्ट नेक नियती से बहैसियत खरीददार खातेदार के काबिज दाखिल है व मिन अपीलान्ट का कब्जा उक्त आराजी पर मौजूद है। यह कि मिन अपीलान्ट कानून से अनभिज्ञ है व ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है व जाति से जाट है जो यह समझे हुऐ था कि मिन अपील ने उक्त आराजी जरिये बना खरीद कर ली हैं। अब इन्तकाल बय की आवश्यकता नहीं है इस कारण मिन अपीलान्ट ने अपने पक्ष में उक्त आराजी का इन्तकाल बय दर्ज व तस्दीक कराने के लिए तहत अदालत में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। यह कि बाद खरीद उक्त आराजी नरेन्द्र बाया (विक्रेता) का स्वर्गवास हो गया, जिस नरेन्द्र के कोई वारिस नहीं था तहत अदालत से रेस्पाईन्ट मे अपना बेजा मेल रसूख मिला लिया व तहत अदालत मित्र अपीलान्ट से चुनावी रंजिश रखने के कारण व विवादित आराजी खसरा नंबर 733 रकबा 0.16 हेक्टेयर नरेन्द्र का 1/8 हिस्से के बाबत रेस्पाईन्ट नंबर 01 ने अपने नाम तहत अदालत से दर्ज व तस्दीक करा लिया। यह कि तहत अदालत ने विवादित आराजी का कोई मौका नहीं देखा ना ही कोई कब्जा देखा व तहत अदालत ने जल्दबाजी में मात्र आराजी खसरा नंबर 733 के बाबत इन्तकाल विरासत रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पक्ष मे दर्ज व स्वीकार किया है। जबकि आराजी खसरा नंबर 732 रकबा 0.45 हैक्टेयर ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर में बाके है व उक्त नरेन्द्र का उक्त आराजी में 1/8 हिस्सा है जो हिस्सा मिन अपीलान्ट ने जरिये बयनामा खरीद कर लिया है लेकिन तहत अदालत में उक्त नरेन्द्र के हिस्से की आराजी खसरा नंबर 732 के बाबत कोई इन्तकाल विरासत रेस्पाडेन्ट नंबर के पक्ष में तहत अदालत ने दर्ज व तस्दीक नहीं किया है जिससे भी श्रीमान को स्पष्ट होगा कि तहत अदालत ने जल्दबाजी में उक्त इन्तकाल विरासत खसरा नंबर 732 का नरेन्द्र मृतक का रेस्पाडेन्ट नंबर 1 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। यह कि वक्त दर्ज व स्वीकार तहत अदालत का कोरम पूरा नहीं था महज सरपंच तन्हा ने

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किया है कोई सार्वजनिक सूचना जारी नही की व ना ही तहत अदालत ने विवादित आराजी का मौका मुआयना किया तहत अदालत ने कुल कार्यवाही एकतरफा दिमाग बनाकर पारित की है। यह कि मिन अपीलान्ट ने नरेन्द्र मृतक बाया व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आनन्दीलाल से उनके हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 732 रकबा 0.45 हैक्टेयर नहरी प्रथम हिस्सा 1ध्4 दर हिस्सा 0.37 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नंबर 733 रकबा 0.16 हैक्टेयर नहरी प्रथम में से हिस्सा 0.04 ऐयर सालिम जो वाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर रजिस्टर्ड बनाने से खरीद की हैं। इसलिए उक्त हरदी आराजीयात का इन्तकाल वय मिना के पक्ष में दर्ज स्वीकार किये जाने योग्य है। यह कि दीगर एतराजात वक्त बहस और सेवा में अर्ज ये जायेगें। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाद जाकर राजबीज अदालत मातहत मेसुख फरमायी जाये व मिन अपीलान्ट में नरेन्द्र मृतक बाया व रेस्पाडेन्ट नंबर आनन्दीलाल से उनके हकूक कब्जे कारत खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 732 रकबा 045 हेक्टेयर नहरी प्रथम हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 0.37 हेक्टेयर तथा आराजी खसरा नंबर 733 रकबा 0.16 हेक्टेयर नहरी प्रथम में से हिस्सा 0.04 ऐयर सालिम जो बाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर रजिस्टर्ड बयनामे से खरीद की है इसलिए उक्त हरदो आराजीयात का इन्तकाल बय मिन अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया जाये व कुल खर्चा मुकदमा मिन अपीलान्ट को रेस्पाडेन्ट नंबर 1 से दिलाया जाये। हलफनामा पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना नोटिस न्यायालय उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इन्तकाल स0 628 दर्ज दिनॉक 17–7–21 एंव स्वीकृत दिनॉक 05–08–2021 वाके ग्राम गुन्दपुर तहसील अलवर की प्रमाणित प्रति भिजवाई गई। प्रकरण मे वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई वक्त बहस वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया की आराजी खसरा नंबर 732 रकबा 0.45 हैक्टेयर नहरी प्रथम हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 0. 37 हेक्टेयर व खसरा नंबर 733 रकबा 0.16 हेक्टेयर नहरी प्रथम में से हिस्सा 0.04 ऐयर विवादित सालिम बाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर जरिये को जर्ये रजिर्स्टड बयनामा तारीख 02–05–2017 को अपीलान्ट द्वारा खरीद किया गया है उक्त इन्तकाल गलत तरीके से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम गुन्दपुर, ग्राम पंचायत गुन्दपुर तहसील अलवर की आज्ञा दिनॉक 05–08–2021 बावत इन्तकाल स0 628 वाके ग्राम गुन्दपुर तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

रूप से रजिर्स्टड बयनामा तथा उभयपक्षो को अन्य प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

प्रतीक जुईकर IAS
उपखण्ड अधिकारी अलवर

निर्णय आज दिनांक 20-5-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतीक जुईकर IAS
उपखण्ड अधिकारी अलवर

Scanned with OKEN Scanner